बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06 / विविध–56 / 2012 5285 खाद्य / दिनांक 08.11.2018

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे, भा.प्र.से.
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत छूटे हुए पात्र लाभुकों को चिन्हित कर राशन कार्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।

प्रसंग :– आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं0–2898 दिनांक 15.10.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य में वर्ष 2018 में मानसून की वर्षा की स्थिति अत्यधिक दयनीय है । वर्षा की कमी के फलस्वरूप बहुत सारे प्रखंडों में खरीफ फसल (धान) की रोपनी / बुआई लक्ष्य से कम हो पायी है । जिन क्षेत्रों में रोपनी / बुआई की गई है, वहॉ भी अल्प वर्षापात के कारण ऊपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। भारतीय मौसम विभाग एवं कृषि विभाग, बिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में वर्षापात की स्थिति अत्यंत खराब है । अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति के कारण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य के 23 प्रभावित जिलों के 206 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत मार्गदर्शन सिद्धान्त के अनुसार पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराते हुए अनुमान्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत छूटे हुए पात्र लाभुकों, जिनका किसी कारणवश राशन कार्ड निर्गत नहीं हो पाया है उन्हें चिन्हित करते हुए नया राशन कार्ड निर्गत करने का निर्देश दिया जाता रहा है।

अतः अनुरोध है कि राज्य में अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत छूटे हुए पात्र लाभुकों, जिनका किसी कारणवश राशन कार्ड निर्गत नहीं हो पाया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर चिन्हित करते हुए अविलंब नया राशन कार्ड निर्गत कराना सुनिश्चित किया जाय, जिससे कि खाद्यान्न के अभाव में उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न होने पाये ।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06 / विविध–56 / 2012 5285 खाद्य / दिनांक 08.11.2018

प्रतिलिपि – अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) पटना / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी एवं सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\Year-2017-\-SECTION- 06-\Vividh-Raj.doc